

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प.8(33)राज/वाद/24 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 01/9/25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 (सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य पक्ष की ओर से आपराधिक प्रकरणों की पैरवी व अभियोजन पक्ष का संचालन करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं04 में वर्णित रिक्त पदों पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

| क्र.सं0 | न्यायालय                                                         | नाम अभियोजक                          | पदनाम                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                | 3                                    | 4                                                                   |
| 1       | विशिष्ट न्यायालय (एन.डी. पी.एस.एक्ट मामलात) सं0 1, जोधपुर महानगर | श्री गोविन्द लाल जोशी (आर/825/2004)  | विशिष्ट लोक अभियोजक (एन. डी.पी.एस.एक्ट मामलात) सं0 1, जोधपुर महानगर |
| 2       | विशिष्ट न्यायालय (एन.डी. पी.एस.एक्ट मामलात) सं0 2, जोधपुर महानगर | श्री मनोहर लाल पालीवाल (आर/767/2004) | विशिष्ट लोक अभियोजक (एन. डी.पी.एस.एक्ट मामलात) सं0 2, जोधपुर महानगर |

आज्ञा से

*sd*  
(सुरेश चन्द बंसल)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिसट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।

*sd*  
01/9/25  
(सुरेश चन्द बंसल)  
शासन सचिव, विधि